

**कार्यालय अधिशासी अभियंता ,  
(पी० एम० जी ० एस० वाई ०)  
प्रखण्ड थराली ।**

**Ref. No.- PMGSY/ Tharali / 113**

**Date: 10/09/2020**

सेवा में,  
नोडल अधिकारी  
इंदिरा नगर  
फारेस्ट कॉलोनी  
देहरादून ।

**विषय:—** जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि० मी० -१० से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।

**संदर्भ:—** भारत सरकार द्वारा ई०डी०एस० दिनांक 13.08.2020 का निराकरण

महोदय,  
उपरोक्त विशयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर पायी गयी इंगित कमियों का निराकरण यूजर एजेंसी व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कर दिया गया है , जो निम्न हैं ।

| S.NO. | प्रश्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | .क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के DSS analysis report से यह ज्ञात होता है प्रस्तावित क्षेत्र 6.016 hec के स्थान पर 5.60 hec पाया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 5.60 hec. भूमि में से 2.0 hec MDF पाया गया है। यदि क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्ष रोपण के लिए उपयुक्त है। तो राज्य सरकार प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करवाकर क्षेत्र की उपयोगिता का प्रमाण पत्र साथ ही संबंधित सभी जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत करें । यदि क्षेत्र उपयुक्त नहीं है एवं DSS Analysis द्वारा प्राप्त | <b>कार्यवाही :</b> प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 6.016 hec. पाया गया है।<br><br>इसके अतिरिक्त 2.0 hec. MDF पाया गया था पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा निरीक्षण में पूर्ण 6.016 hec. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है इसकी जानकारी Part I & Part II Point 13 में अपलोड कर दिया गया है |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | जानकारी सही है तो राज्य सरकार क्षति पूर्ण हेतु उपयुक्त 6.016 hec भूमि का चयन करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कोई VDF एवं MDF विद्यमान नहीं है। तथा संबंधित दस्तावेजों ऑनलाइन अपलोड तथा इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। | प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र की उपयोगिता क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है संबंधित दस्तावेजों ऑनलाइन Part II में अपलोड कर दिया गया है                                         |
| 2. | प्रस्तावित मार्ग एक नदी को cross कर रहा है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि पुल से संबंधित विवरण भी प्रस्ताव में शामिल करें।                                                                                                                        | कार्यवाही : प्रस्तावित मार्ग एक नदी को cross कर रहा है उस जगह में 60 m steel girder bridge बनाना प्रस्तावित है इस की जानकारी Part I B-2.4 Component wise breakup में अपलोड कर दिया गया है                         |
| 3. | राज्य सरकार क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण क्षेत्र में स्थित MDF क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाई वार सूची भी प्रस्तुत करें                                                                                                                | कार्यवाही : प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र झाड़ीनुमा है एवं वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्ष रोपण के लिए उपयुक्त है इसकी जानकारी Part I & Part II Point 13 में अपलोड कर दिया गया है |

संलग्न - : यथोपरि ।

भवदीय,



प्रबंधक

एन०पी०सी०सी० लिमिटेड

थराली

## प्रारूप ।

परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव संख्या —FP/UK/ROAD/38366/2019

परियोजना का नाम—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के किमी0—10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का क्षेत्रफल है0 में— 3.008

प्रयोक्ता ऐजन्सी का नाम:— आर0ई0एस0 पी0एम0जी0एस0वाई0कर्णप्रयाग।

प्रभाग का नाम:— ब्रदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक हेतु चयनित क्षेत्र नागनाथ रेंज के अन्तर्गत कालोडांडा रिजर्व क0सं0 3ब में 6.016 है0 क्षेत्र का पुनः 01/9/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाडीनुमा व रिक्त है। रिक्त क्षेत्र में 1100 पौध/ है0 रोपित हो सकते है।

अतः उक्त 6.016 है0 क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत उपयुक्त है।

  
प्रभास (अभिजात सिंह)री  
केदारनाथ प्रभासी योजनाधिकारीश्वर  
केदारनाथ वन्यजीवप्रभाग गोपेश्वर।